भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4140 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर वातानुकूलित प्रतीक्षा-कक्षों का शुल्क

4140. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैध प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसी श्रेणी के टिकट-धारक प्रमुख रेलवे-स्टेशनों पर वातानुकूलित प्रतीक्षा-कक्षों का निःशुल्क उपयोग करने के हकदार हैं, जबकि नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन सहित कई रेलवे स्टेशनों पर उक्त प्रतीक्षा-कक्षों में ठहरने के लिए उनसे 20 रुपये प्रति घंटे का शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त शुल्क लगाने का आधार, उद्देश्य और संबंधित नीति/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) उक्त प्रतीक्षा-कक्षों से प्राप्त वार्षिक राजस्व और उनके रखरखाव तथा संचालन पर खर्च की गई राशि का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वैध एसी श्रेणी टिकट-धारक नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और लंबी दूरी के यात्रियों को वातानुकूलित प्रतीक्षा-कक्षों की सेवाएं निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): वैध टिकट वाले सभी यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर वातानुकूलित और अवातानुकूलित प्रतीक्षालय/कक्ष निःशुल्क उपलब्ध हैं। वातानुकूलित श्रेणी के वैध टिकट धारक प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के वातानुकूलित प्रतीक्षालयों का निःशुल्क उपयोग करने के हकदार हैं।

इस सुविधा के अलावा, बेहतर और उन्नत यात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए, रेलवे ने चिह्नित स्टेशनों पर आधुनिक वातानुकूलित प्रतीक्षालयों का विकास किया है। ऐसे प्रतीक्षालयों का उपयोग शुल्क नाममात्र है।

उपरोक्त विधियों से अर्जित राजस्व विविध राजस्व का भी एक भाग है। इसके अलावा, भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण में खण्ड-वार राजस्व ब्यौरा उपलब्ध है।
